

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 156 : व्यक्तियों को लोक सेवक समझा जाना

इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति *भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

* देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का क्रमांक 45) की धारा 2 की उपधारा (28) (प्रभावशील दिनांक 01.07.2024)।